

5/6/18  
 [Signature]

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
 लोक अदालत  
 पीठासीन अधिकारी

3. रहित पत्रार्थ।

2. प्रार्थी श्री [Signature]

दरमद शीघ्र किया जाकर पलना रिपोर्ट मिलवाये।

1. तहसीलदार, फतेहपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल प्रतिरिपि :-

क्रमिक : 8046 / राजस्व / 2018

दिनांक : 05-06-2018

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
 लोक अदालत  
 पीठासीन अधिकारी  
 (11/11/18)

क.सं.	ग्राम	खता संख्या	वर्तमान प्रविधि (अशुद्ध प्रविधि)	आदेश (शुद्ध प्रविधि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है)
1.	राजवाड़ा	84	राजवाड़ा	राजवाड़ा

जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद के आदेश दिखे जाते हैं:-

खता संख्या 84 में वर्तमान में दर्ज प्रविधि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया तहसील राजवाड़ा व जिला राजवाड़ा की जमाबन्दी समेत 2014-17 में 22 पर राजस्व अहिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजवाड़ा की अशुद्ध प्रविधि को अशुद्ध प्रविधि के अन्तर्गत प्रार्थी के "खता संख्या" राजवाड़ा-44 एवं पदवारी राजवाड़ा-44 को अशुद्ध प्रविधि में अमल किया जायेगा।

---आदेश---

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, फतेहपुर  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कॅम्प कोठी) कॅम्प राजवाड़ा